उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 14/2025/863/94-2-2025-700(47)/2025
लखनऊ, दिनांक : 31 जुलाई, 2025

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन, उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025 के अधीन बस अड्डे की स्थापना के प्रयोजन हेतु उपर्युक्त नीति के प्रस्तर-8 के उपबंधानुसार, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025	विवरण/प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
प्रस्तर-8	राज्य में बस अड्डो को स्थापित करने हेतु भूमि के क्रय तथा राज्य सरकार के किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित होने पर	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होगी :-

1- उपरोल्लिखित छूट संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये गये प्रोत्साहन पत्र के सत्यापन के उपरांत ही उपलब्ध होगी तथा विवरण जिलाधिकारी को सूचित किया जायेगा।

2- स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की न्यूनतम विधिमान्यता अवधि, उक्त नीति में उल्लिखित स्वीकार्यता अवधि से कम नहीं होनी चाहिये। स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर बैंक प्रत्याभूति निर्मुक्त कर दी जायेगी।

3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध इस नीति के प्रख्यापन दिनांक अर्थात् दिनांक 07.05.2025 से नीति की प्रभावी अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे। उक्त नीति के किन्ही कारणों से समाप्त होने की दशा में, इस अधिसूचना के अधीन स्वीकृत छूट, उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 14/2025/863(1)/94-2-2025-700(47)/2025 दिनांक : 31 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 31 जुलाई, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या : 14/2025/863(2)/94-2-2025-700(47)/2025 दिनांक : 31 जुलाई, 2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
4- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
9- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
10- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
11- विधायी अनुभाग-1
12- भाषा अनुभाग-5
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 14/2025/863/94-2-2025-700(47)/2025, dated 31 July, 2025 :

Notification
Order

No. 14/2025/863/94-2-2025-700(47)/2025
Lucknow; Dated : 31 July, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit the stamp duty, under this notification, chargeable in relation to the instruments shown in Column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of paragraph 8 of the "Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage and All India Tourist Bus Park (Establishment and Regulation) Policy, 2025", for the purpose of establishment of bus stands under the aforesaid policy, to the extent mentioned in Column-3 of the Schedule below.

SCHEDULE

Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage and All India Tourist Bus Park (Establishment and Regulation) Policy, 2025	Description/ Purpose	Extent of Remission	Nature of Instruments
1	2	3	4
Paragraph 8	On the purchase of land and on the land allotted by industrial development authority/ development authority of the State Government for setting up bus stand in the State.	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899

Under this notification, the aforesaid exemption shall be subject to the following terms and conditions :-

1- The above-mentioned remission shall be available only after verification of the Letter of Incentive issued by the District Magistrate of the concerned district and the details shall be communicated to the District Magistrate.

2- Irrevocable bank guarantee equivalent to the amount of the stamp duty remission, in favour of the District Magistrate of the concerned district, shall

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

be presented before the Registering Officer at the time of registration of such deed. The minimum validity period of the bank guarantee should not be less than the admissible period mentioned in the said policy. At the start of the commercial operation within the admissible period, bank guarantee will be released.

3- The provisions mentioned in this notification shall remain in force from the date of promulgation of the policy, i.e., 07-05-2025, till the effective period of the policy. In case the said policy comes to end by any means, the remission granted under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.

By Order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।